


६

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

तमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये जा  
दि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
तमस्त विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यापार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अद्यत लिखा जाये जिससे यदिगा हो।



ग्राम : बुलीगर्ही  
दूरध्वास : (0751) 234111  
(0751) 244288  
फ़ैक्स : (0751) 234011

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक/एफ/सम्बद्धता/2014/ 1877

दिनांक: 19-05-2015

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध VILAY LAXMI COLLEGE OF NURSING, GWALIOR को सत्र 2014-15 के  
लिये वस्त्राधित/संचालित B.Sc. NUR. पाठ्यक्रमकार्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अबुशंसाै फ़ैक्स फ़ैक्स के  
लिये आवश्यक कुलपति अधेद्य समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिबिधान 27(10) के  
परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार नियीकण समिति का घटा किया है :-

1. REKHA BHADORIA, SOS BOTANY, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR
2. SUKHLA SHARMA, BIMR COLLEGE OF NURSINGH, GWALIOR
3. MUKUL TELANG, SOS PHARMECY, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR
4. S.N. MAHAPATRI, SOS EARTH SCIENCE, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR

(संचोरक)

नियीकण समिति के दादर्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप भाषाविद्यालय का प्रदायक  
नियीकण कार शुल्क, धरोहर राशि, गांचित शैक्षणिक/अशैक्षणिक रटाँफ़, पार्थिकृत लंस्था से प्राप्त अनुभावी/अनापाति पाणी-पान  
मजबूत, झींडा परिसर एवं पाट्यक्रम/आर्डिनेज़ तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण एवं उनके तथा  
प्रावधानशैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रटाँफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण अनुसारी अंकित  
करें।

नियीकण समिति द्वारा 30 दिन में भाषाविद्यालय का नियीकण कर 03 दिवस ने विश्वविद्यालय कार्यालयमें नियीकण  
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। परिनियम 27(11)(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रदेश देशी भाषाविद्यालय  
हैं। नियीकण समिति के सदस्यों को 1000/- प्रति सदस्य मालदेव भाषाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. उन्नत उद्दरयों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रादार्य/अध्यक्ष, संबंधित भाषाविद्यालय की ओर भेजकर विरेश है कि समिति के संचोरक द्वारा दी गयी जिवाजी विश्वविद्यालय का  
भाषाविद्यालय का नियीकण करायें। उक्त नियीकण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. अनुबत्त उच्च शिक्षा, सातपुड़ा भवन, ओणल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

अधिकारी, (भाषाविद्यालय)